संख्या- 5/2016/172/84-1-16-19बामा/2014टीसी

प्रेषक,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 21 मार्च, 2016

विषय- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में विभिन्न मदों में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5113/एस0सी0डी0आर0सी0/ यू0पी0/ब0आ0015-16, दिनॉक- 09-02-2016, संख्या-5114/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0आ0015-16, दिनॉक 09-02-2016 तथा संख्या-5115/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0आ0 15-16, दिनॉक 09-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्मिकों के वेतन भत्ते, व्यावसायिक सेवा भुगतान, विद्युत व्यय एवं यात्रा के लम्बित बिलों आदि के भुगतान हेतु श्री राज्यपाल महोदय
रू0 63,32,000/- (तिरसठ लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविल पूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान के विभिन्न मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-3 में हो रही बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456-सिविल पूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मदों में संलग्न बी0एम0-9 के कॉलम-10 अनुसार प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/217/दस-2016, दिनॉक 18 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 5/2016/172(1)/84-1-16-19बामा/2014टीसी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3456-00-001-06--00-12 कार्यालय फर्नीचर उपकरण	28783	475	475	475	28308
3456-00-001-06--00-17-किराया उपशुल्क	5826	2428	2425	2425	3401
3456-00-001-06--00-18-प्रकाशन	200	200	200	200	-
3456-00-001-06--00-29'अनुरक्षण	2500	698	482	482	2018
3456-00-001-06--00-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	400	246	-	-	400
3456-00-001-06--00-45- अवकाश यात्रा व्यय	400	400	-	-	400
3456-00-001-06--00-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण्	2660	186	184	184	2476
3456-00-001-06--00-51-वर्दी व्यय	300	176	176	176	124
3456-00-001-06--00-02-मजदूरी	645	285	285	285	360
3456-00-001-06--00-42-अन्य व्यय	300	275	275	275	25
3456-00-001-06--00-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय	2375	1833	1830	1830	545
योग-	44389	7202	6332	6332	38057

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3456-00-001-06--00-16-व्यावसायिक सेवा भुगतान	12022	15604	3582	3582	15604
3456-00-001-06--00-09-विद्युत व्यय	7000	7360	360	360	7360
3456-00-001-06--00-01-वेतन	120095	120595	500	500	120595
3456-00-001-06--00-06-अन्य भत्ता	16023	17913	1890	1890	17913
योग-	155940	162917	6332	6332	161472

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण जिला फोरम भवनों का निजी कार्यालयों में स्थापित होना, भारत सरकार द्वारा नये कम्प्यूटर/कम्प्यूटर उपकरण की आपूर्ति कराया जाना एवं मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला फोरम अध्यक्ष व सदस्यों के पदों का रिक्त होने के कारण हुई।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण सम्बन्धित मानक मदों में आवंटित धनराशि का आवश्यकता से कम होना है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी अनु सचिव। खाद्य एवं रसद विभाग।	संख्या- आर0ई0 582/ई-7- 217/दस-2015 दिनॉक 18 मार्च, 2016 सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। अरूण कुमार दुबे उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 5/2016/172(3)/84-1-16/2015 दिनॉक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग (उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप) वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-03-महंगाई भत्ता	16,77,49	25780	225	225	167524
योग-	16,77,49	25780	225	225	167524

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-44-प्रशिक्षण व्यय	500	725	225	225	725
योग-	500	725	225	225	725

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण स्वीकृत पदों का रिक्त होना है ।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय का कारण नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 06-03-2016 द्वारा नियंत्रक को उक्त धनराशि का डाफ्ट लेकर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के निर्देश ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0-572 /ई-7-246/दस-2015 दिनॉक 18 मार्च, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अरूण कुमार दुबे
उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 4/264 (2)/2016/154/84-1-16/2015 दिनॉक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in